ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-6* September-2020
Anthology : The Research

गुप्तोत्तरकालीन समाज में पत्नी के रूप में नारी की स्थिति

Woman's Position As Wife In Post-Gupta Society

Paper Submission: 16/09/2020, Date of Acceptance: 25/09/2020, Date of Publication: 26/09/2020

अम्बु सिंह
पूर्व शोध छात्रा,
प्राचीन इतिहास विभाग,
दीनदयाल विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

गुप्तोत्तर कालीन समाज में गुणो से युक्त पत्नी को ही प्राथमिकता दी गई और ऐसी स्त्रियॉ ही परिवार में प्रतिष्ठा एवं सम्मान पूर्वक जीवन जी रही थी तथा इन स्त्रियों को समाज में आदर्श एवं अनुकरणीय माना जाता था। पत्नी गृहस्थ जीवन के मूल में स्थित है इसलिए उसे घर की आत्मा और प्राण समझा जाता रहा है। पत्नी को धर्म तथा काम का मूल स्वीकार किया गया तथा वह संसार सागर तरने का साधन मानी गयी। पत्नी के लिए पति अत्यन्त पूजनीय एवं आदरणीय था तथा पतिव्रता स्त्रियों के जीवन की सार्थकता पति के निमित्त सब प्रकार के कष्ट सहने में मानी जाती थी। पारिवारिक समस्याओं का निदान पति–पत्नी मिलकर करते थे पत्नियों का यह कर्तव्य था कि वह पति की आज्ञा का विधिवत पालन करे तथा गृहस्थी का सम्पूर्ण दायित्व तथा आन्तरिक व्यवस्था को सम्हालने का कार्य करें। परिवार में पत्नी की भूमिका प्रेरक की थी। इस प्रकार पत्नी अपने परिवार का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए अपने विशिष्ट गुणों के कारण परिवार एवं समाज में आदर्श एवं अनुकरणीय थी।

In the post-Gupta society, a wife with virtues was given priority and only such women lived a dignified and dignified life in the family and these women in the society Was considered ideal and exemplary. The wife is located at the core of household life, so she has been considered the soul and soul of the house. The wife was accepted as the origin of religion and work and she was considered as a means of sailing the world. For the wife, the husband was highly revered and respected, and the virtue of the life of the devout women was considered to bear all kinds of suffering for the husband. The husband and wife used to diagnose the family problems together. It was the duty of the lads to duly obey the husband's orders and do the entire responsibility of the household and support the internal system. The role of the wife in the family was motivational. In this way, the wife, while operating her family efficiently, was ideal and exemplary in the family and society due to her unique qualities.

मुख्य शब्दः पत्नी, पतिव्रता, आदरणीय, आदर्श, अनुकरणीय, प्रेरक, कर्तव्यपरायण।
Wife husbandhood, respectful, ideal, exemplary, inspiring, dutiful.

प्रस्तावना

पत्नी गृहस्थ जीवन के मूल में स्थित है इसलिए वैदिक युग से ही उसे घर की आत्मा और प्राण समझा जाता रहा है। वैदिक युग में पत्नी का परिवार और समाज में ऊँचा स्थान था तथा उसकी उपस्थिति के बिना अनेक धार्मिक कृत्य तथा यज्ञ होम आदि सम्पन्न नही हो सकते थें। पत्नी पति की आधा भाग तथा सर्वोत्तम सखा थी। पत्नी को धर्म तथा काम का मूल स्वीकार किया गया तथा वह संसार–सागर तरने का साधन मानी गयी। परवर्ती काल में पत्नी का अधिकार तथा महत्व क्रमशः घटने लगा।

गुप्तोत्तर काल का सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेष राजनैतिक विघटन, सामन्तवाद का विकास, स्थानीयता की बढ़ती प्रवृत्ति तथा विदेशी आक्रमणों के कारण अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों के उदय से आक्रान्त रहा। इन सभी कारको का नारी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। विचेच्ययुगीन साहित्य में[1] स्त्रियों की ह्रासोन्मुख अवस्था का अनेकत्र उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामों एवं नगरो

में स्त्रियों की स्थिति में भिन्नता थी। लटकमेलक[–2] से ग्रामीण स्त्रियों की हीन स्थिति की सूचना मिलती है, किन्तु विक्रमांकदेवचरित से नगरो में उनके प्रति उदारता का प्रमाण प्राप्त होता है।[–3]

मेधा तिथि ने लिखा है कि पति–पत्नी केवल शरीर से ही अलग होते हैं अन्यथा वे पूर्ण रूप से एक–दूसरे से सम्बद्ध रहते है।[–4] भारतीय संस्कृति में पतिव्रता की जो उत्कृष्ट एवं उदात्त कल्पना की गयी है वह बाण के अनुसार यशोमति में विद्यमान थे। अभिलेखो में भी पतिव्रता शब्द सम्मान के साथ प्रयुक्त हुआ है।[–5] एक कलचुरी अभिलेख में रम्भा को साध्वी पत्नी कहा गया है।[–6] एरण अभिलेख में भानुगुप्त की साध्वी स्त्री का विवरण है[–7]। संकट के समय भी सतीत्व का पालन करना कुलीन स्त्रियों के लक्षण थे।[–8] ऐसी स्त्रियों को संसार का भूषण भी कहा गया है।[–9] सती एवं शीलवती, स्त्रियॉ लोकप्रशंसा को प्राप्त होती थीं। पत्नी के लिए पति अत्यन्त पूजनीय एवं आदरणीय होता था। पत्नी अपने अपने पति के लिए हमेशा इसी प्रयत्न में रहती थी कि उसे कभी किसी प्रकार की चिन्ता एवं क्षति न हो।

दाम्पत्य जीवन में पत्नी को सुख का मूल आधार स्वीकार किया गया है। वर्धन वंश की रानी यशोमति अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी।[–] स्मृति–चंद्रिका में कहा गया है कि पत्नी को सर्वगुण सम्पन्न एवं आचार तथा सदाचार में दक्ष होना चाहिए। इन गुणों से रहित स्त्री पत्नी नही बल्कि रखैल समझी जाती थी।–[10] तद्युगीन समाज में यह अवधारणा प्रचलित थी कि जिस स्त्री का पति उससे सन्तुष्ट न हो उसे स्त्री कहना ही नही चाहिए। उत्तम पत्नी की कसौटी उसकी योग्यता थी, जिस पर खरी उतरने परवह पति–प्रेम का भाजन बनती थी। वर्धन वंश की रानी यशोमति गुणों में लक्ष्मी, पार्वती एवं गंगा के सदृश थी।[–11] देवपाल के मंत्री सोमेश्वर की पत्नी पार्वती एवं लक्ष्मी की तरह थी।[–12] चंदेल शासक मदन वर्मा की पत्नी आसर्वा, ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूइया की तरह ही अपनी धर्मपरायणता के कारण पूजनीय थी। खजुराहो के मंदिरो में दाम्पत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं का जितना सजीव और उत्कृष्ट चित्रण मिलता है, वैसा अन्यत्र अप्राप्य है। इनमें कुछ दृष्य ऐसे है,जिनमें रोती हुई पत्नियॉ अपने ऑसू छिपाने का प्रयत्न कर रही है।[–13] वही दूसरी ओर उनके पति सान्त्वना देते हुये दिखायी दे रहे हैं।

उक्त वर्णन पत्नी की आदर्श स्थिति के परिचायक है, किन्तु कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते है, जो कष्टमय जीवन की झॉकी प्रस्तुत करते है। नाराज एव बावले पति अपनी पत्नियों को तलवार या वर्छी से मारने को उद्यत दिखाये गये है। कुछ पति तो आपत्काल में अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देते थे। [–14] प्रबोध चन्द्रोदय में वर्णित है कि क्रोध में पति अपनी मर्यादित एवं दोष रहित पत्नी को त्याग देते थे।[–15] पत्नी का सर्वश्रेष्ठ गुण उनमें संयम का होना माना जाता था। याज्ञवल्क ने इस सन्दर्भ में कहा है कि पत्नी का संयमित होना आवष्यक है। पति की अपेक्षा पत्नी के संयम पर अधिक बल दिया गया है परन्तु इन सारे गुणो के बावजूद पत्नी का स्थान परिवार में पति की अपेक्षा निम्न था। [–16] घरेलू एवं पारिवारिक समस्याओं का निदान पति–पत्नी मिलकर करने की कोशिश करते थे। खजुराहो की एक मूर्तिकला में पति–पत्नी को किसी पारिवारिक समस्या पर वार्तालाप करते हुए प्रदर्शित किया गया है। एदिलपुर अभिलेख मे लिखित है कि चन्द्रदेवी अपने पति लक्ष्मणसेन की मुख्य शक्ति तो थी ही, साथ ही उनके प्रत्येक कार्य की सहभागी भी थी।[–17] मृच्छकटिक में वर्णित है कि पत्नी पति के दुःख नही देख सकती थी और पति की अपकीर्ति से भी डरती थी। इस प्रकार पति–पत्नी के सम्बन्ध को अटूट माना जाता था। समाज में स्त्रियो के लिए उसका पति ही उसके लिए विविध सम्पदाओं की निधि था।

पत्नी के अधिकारो के सम्बन्ध में समकालीन साहित्य में कोई विस्तृत विवरण नही प्राप्त होता है। पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रकारों ने इसकी विवेचना की है। पत्नी का प्रथम अधिकार था पति के साथ धार्मिक कृत्यो में भाग लेना। अपरार्क के अनुसार सभी श्रुतियॉ सपत्नीक अग्निहोत्र का विधान करती है। पत्नी के अभाव में 'कुशमयी' या 'स्वर्णमयी' पत्नी को निर्मित करके यज्ञादि सम्पादित करना चाहिए। मनु के मतानुसार पति–पत्नी एक ही है, परन्तु गुप्तोतर कालीन कानूनी एवं व्यावहारिक बातों में यह समानता नही पायी जाती है। स्त्रियॉ न्यायालय में साक्ष्य नहीं दे सकती थीं। स्त्रियों के लिए कानून द्वारा दिव्य साक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। तुला दिव्य साक्ष्य सर्वाधिक योग्य है ।[18] पति द्वारा जो आभूषण एवं गृहकार्य के लिए धन पत्नी को प्राप्त होता था उस पर पत्नी का अधिकार होता था। सभी धर्मषाास्त्रकारो ने किसी भी स्थिति में पति द्वारा पत्नी के भरण–पोषण के अधिकार का समर्थन किया गया है। यदि पति विदेष भी गया है तो उसे अपनी पत्नी के भरण–पोषण का उत्तरदायित्व वहन करना होता था। विधवा पत्नी पति के मरणोपरान्त साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त कर सकती थी। पति की मृत्यु के उपरान्त विधवा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपने पतिगृह में रहकर जीवन व्यतीत कर सकें। पति के उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्धारित अन्य व्यक्ति उसकी समुचित आवास व्यवस्था किये बिना उसे इस अधिकार से वंचित नही कर सकते थे। मनु का विधान है कि अगर पुत्र इस कार्य में असफल है तो उसे छः सौ पण का दण्ड देना चाहिए।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सधवा एवं विधवा दोनो स्थितियों में पत्नी को अपने पति के परिवार से भरण–पोषण का अधिकार व्यावहारिक एवं कानूनी दोनो रूपो में प्राप्त था। आपसी झगडो में पति–पत्नी दोनो को राजा के पास अपील कर उचित न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था।[–19] नारद के द्वारा उल्लिखित है कि साध्वी विधवा काा भरण-पोषण न करने वाले गृहस्वामी को दण्ड दिया जाना चहिए। दक्ष ने भी पत्नियों को पतियो द्वारा पालन पोषण का अधिकार प्रदान किया है। पत्नी के रूप में स्त्री का यह प्रमुख अधिकार था कि वह अपने पति का संरक्षण प्राप्त करे। खजुराहो के कई दृश्य सशस्त्र पति द्वारा पत्नी की सुरक्षा के द्योतक है। पत्नी को धर्म परिवर्तन का भी अधिकार था। किसी भी धर्म की वह अनुयायी हो सकती थी। कन्नौज के शासक गोविन्दचन्द्र

गहडवाल की पत्नी कुमार देवी पति के ब्राह्मण धर्म को अस्वीकार कर बौद्ध धर्मानुयायी हो गयी थी। वे समान रूप से दान पुण्यादि कर सकती थी।

फिर भी धर्मशास्त्रकारों ने पत्नी के अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यो पर ही अधिक जोर दिया है तथा उनके अधिकारो की अपेक्षा उनके कर्तव्यो का ही विस्तृत वर्णन किया है। पत्नी के कर्तव्य के सम्बन्ध में याज्ञवल्क का मत है कि पति के प्रिय कार्य करना, सास ससुर की सेवा करना चरण वन्दना, उत्तम आचरण तथा संयम रखना[20] सुयोग्य पत्नी घर में सूत काटना, नौकरी का हिसाब रखना, गृह वाटिका लगाना, पशु पक्षियों की देख रेख, पिसाई-कुटाई का निरीक्षण करना, सब्जी व फल पैदा करना आदि कार्यो को करती थी।[21] गृह कार्य में दक्ष पत्नियॉ वन्दनीय होती थी। पत्नियों को कुल की मुकुटमणि भी कहा जाता था। साहित्य तथा अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि राजपरिवारों में भी पत्नियॉ सम्मान एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जी रही थी। कहीं कहीं तो उन्हे भाग्य की देवी माना जाता था। एक अभिलेख में कहा गया है कि श्रेष्ठ गुणों के कारण ही गोपाल की पत्नी रण्णादेवी की प्रशंसा उनकी प्रजा ने की थी। रानी विलासवती भी अपने गुणों के कारण विजयसेन के अन्तःपुर में स्त्रियों की शिरोरत्न थी। तद्युगीन समाज में गुणों से युक्त पत्नी को ही प्राथमिकता दी गयी और ऐसी स्त्रियॉ ही विवेच्यकालीन परिवार में प्रतिष्ठा एवं सम्मान पूर्वक जीवन जी रही थी तथा समाज में इन स्त्रियों को आदर्ष एवं अनुकरणीय माना जाता था। व्याभिचारिणी पत्नियों को समाज मे अपमान जनक दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु दोषपूर्ण परित्यक्ता पत्नी का पोषण भी पति को करना पडता था। पत्नी का भरण–पोषण करने के कारण ही पति को भर्ता कहा गया है। पति का यह कर्तव्य था कि वह पत्नी को समय–समय पर भोजन, वस्त्र एवं आभूषण से तृप्त करता रहे। विवेच्यकाल में पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य था। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ होता था वह नर्क का भागी माना जाता था।

अध्ययन का उद्देश्य

गुप्तोत्तर कालीन समाज में पत्नी के रुप में नारी की स्थिति शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर विचार करना तथा तद्युगीन समाज एवं राष्ट्र की उन्नति का आकलन करना है। यदि समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है और उनको पर्याप्त आदर एवं सम्मान प्राप्त है तो यह इस बात का प्रबल सूचक है कि समाज अत्यन्त विकसित है तथा लोग खुशहाल हैं। जिस समाज में नारी को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता है वह समाज कभी विकसित नहीं हो सकता क्योंकि नारी ही परिवार की धुरी होती है और पत्नी के रुप में परिवार में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए उसके सुख–दुख उसके व्यक्तित्व और चरित्र का सम्पूर्ण प्रभाव उनके परिवार के समस्त सदस्यों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनो ही रुपों में पड़ता है। यही कारण है कि नारी के चरित्र और उसकी सुरक्षा पर अत्यन्त बल दिया जाता है। जब–जब समाज में अराजकता एवं संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तब–तब नारी की स्वतन्त्रता को बाधित कर उसे अनेक नियमों के दायरे में बॉध दिया जाता है। इसके विपरीत जब समाज में अराजकता एवं संक्रमण की स्थिति नहीं होती है जब नारी स्वाभाविक रुप से स्वतन्त्र होकर अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास करती है। तथा परिवार में पत्नी के रुप में महत्वपूर्ण और गौरवान्वित स्थान को प्राप्त करते हुये परिवार समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपनी प्रतिभा का सम्पूर्ण प्रयोग करते हुये अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देती है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि गुप्तोत्तर कालीन भारतीय समाज में यद्यपि पति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे किन्तु फिर भी पत्नी का परिवार एवं समाज में आदरणीय स्थान था। द्यावा–पृथ्वी के समान पति–पत्नी दोनो परिवारिक जीवन की धुरी माने जाते थे, तथापि किसी काल में समाज में एक ही तरह का व्यवहार अथवा एक ही तरह का जीवन सभी का नही होता। समाज में परस्पर विरोधी धारायें साथ–साथ चलती रहती है। विवेच्यकालीन दाम्पत्य जीवन में ऐसी ही बात थी। यह कहना कि सभी पत्नियों का जीवन दीन–हीन था अथवा सभी पत्नियॉ अच्छी अवस्था में थी, या उच्चवर्ण की सभी पत्नियॉ सुखी और सन्तुष्ट थी गलत होगा। ऐसा कहना भी गलत होगा कि अधिकांश महिलाओं की अवस्था हीन थी क्योकि अधिकांश निम्न आर्थिक अवस्था वाले परिवारों में भी पुरूषों व महिलाओं का समान स्तर था। पति और पत्नी में असमानता सिर्फ उच्च आर्थिक अवस्था वाले परिवारों में थी, किन्तु वहॉ भी व्यक्तित्व के आधार पर कुछ महिलाओं का ऊॅचा स्थान था। सच तो यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के रूप, रंग और रूचि में अन्तर होता है, उसी प्रकार गुप्तोत्तर कालीन दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल व्यक्तिगत और विविधता से भरा पडा था। समान्यतः कहा जा सकता है कि पति–पत्नी दोनो जब परस्पर अनुकूल होते थे तब धर्म, अर्थ एवं काम तीनों पुरूषार्थो की वृद्धि होती थी। परिवार में पत्नी की भूमिका प्रेरक की थी। वह परिवार में प्रमुख बनकर परिवार के सभी सदस्यों के अधिकारों का पूर्ण घ्यान रखती थी। परिवार के बडे बूढों एवं अपने से बडो के प्रति आदर का भाव तथा छोटे के प्रति स्नेह का भाव रखकर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि करती थी एवं पतिव्रता एवं प्रियंवदा होने के कारण वह आकर्षण का स्रोत थी। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के द्वारा लोक में अपनी वंष परम्परा को बढ़ाती हुई तथा अपने परिवार का कुषलतापूर्वक संचालन करती हुई पत्नी अपने विशिष्ट गुणो के कारण परिवार एवं समाज में आदर्ष एवं अनुकरणीय थी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *प्रबोध चन्द्रोदय 1, पृ0–27*
2. *शंखधरकृत लटमेलक, 1, पृ0 6,7*
3. *विक्रमांकदेवचरित, 1.8*
4. *मनुस्मृति (पर भाष्य) 1.32*
5. *सरकार डी0 सी0, पृ0–415*
6. *सी0 आई0 आई0 4.2, पृ0 486 (कलचुरी अभिलेख)*
7. *सरकार डी0 सी0, पृ0–415*

8. कथासरित्सागर 1.3.14
9. कथासरित्सागर 1.4.18
10. स्मृतिचंद्रिका (व्यव0 का0) पृ0 525
11. हर्षचरित, 3
12. एंषियण्ट इण्डिया, पृ0 200
13. विष्वनाथ मंदिर, मण्डप भीतरी प्रदक्षिणापथ
14. कथासरित्सागर, 1.3.12
15. प्रबोध चन्द्रोदय, 2.9
16. बृहस्पति स्मृति, 24.6
17. मजूमदार एन0जी0, इसक्रिप्षन्स ऑफ बंगाल 3 पृ0–123
18. याज्ञवल्क स्मृति 2.89
19. मजूमदार आर0सी0, सम द एज ऑफ इम्पीरियल कन्नौज पृ0 377 बम्बई–1995
20. याज्ञवल्क स्मृति, 1.83. 870
21. कामन्दकीय नीतिसार, 4.1.33, 4.1.6.7